भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 825
दिनांक 26 जुलाई, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

पीएमजेएवाई के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों हेतु नई स्थास्थ्य योजनाएँ

†825. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य योजना शुरू करने तथा बीमा राशि बढ़ाने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएमजेएवाई योजना के तहत आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत दर निर्धारित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार नागरिकों को पीएमजेएवाई में शामिल होने का अवसर प्रदान करने का विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों के शामिल होने तथा आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ड़) क्या सरकार को पता है कि केरल में उक्त योजना में शामिल होना संभव नहीं है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) इसमें नए सदस्यों को शामिल करने के लिए वेबसाइट खोलने के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (च): आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है जिसके तहत 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ लोगों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाता है। पात्र परिवारों के सभी सदस्य, चाहे वे किसी भी आयु के

हों, इस योजना के अंतर्गत कवर किए जाते हैं। यह योजना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा को छोड़कर 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

वर्तमान में, प्रीमियम के अंशदान पर मौजूदा लाभार्थी आधार से इतर अन्य वर्गों को योजना में शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रारंभ में, एबी पीएम-जेएवाई के तहत वर्ष 2011 की सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना (एसईसीसी) के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संबंध में अलग-अलग चुनिंदा वंचना और व्यावसायिक मानदंडों का उपयोग करते हुए 10.74 करोड़ लाभार्थी परिवारों की पहचान की गई थी। जनवरी 2022 में, लाभार्थी आधार का विस्तार 12.34 करोड़ परिवारों तक किया गया था और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान के लिये समान सामाजिक-आर्थिक स्थितियों के लिए अन्य डिजीटल डेटाबेस का उपयोग करने की सुविधा दी गई है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने स्कीम के अंतर्गत सत्यापन के लिए गरीब और कमजोर परिवारों के आधार सीडेड डाटाबेस उपलब्ध कराए हैं। लाभार्थी कैशलेस उपचार का लाभ उठाने के लिए देश भर में किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल (सार्वजनिक या निजी) में उपचार के लिए जा सकते हैं। अस्पताल द्वारा किए गए निदान के आधार पर पात्र लाभार्थियों को निशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। उपचार के बाद, लाभार्थी को अस्पताल से छुट्टी दे दी जाती है और अस्पताल प्रतिपूर्ति के लिए दावा प्रस्तुत करता है।

केरल राज्य में कुल 23,97,610 परिवार इस योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य परिचर्या लाभों के पात्र हैं और राज्य में लाभार्थियों के लिए कुल 76.7 लाख आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं।

*****